प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026
थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा हत्या (धारा 103-1 बीएनएस) के मामले में वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर पुलिस एवं SOG टीम (प्रथम व द्वितीय) द्वारा थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 91/26 धारा 103(1), 70(1) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आए एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 27.04.2026 को थाना मानिकपुर के उप-निरीक्षक अमित कुमार सिंह मय एसओजी प्रभारी प्रतापगढ़ (प्रथम व द्वितीय) की संयुक्त टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि हत्या व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित एक बाल अपचारी लेहदरी गंगा नदी पुल के पास पुलिया पर कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर घेराबंदी की गई और भागने का प्रयास कर रहे 01 बाल अपचारी को हिकमत अमली से अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस टीम-
थाना मानिकपुर- उ0नि0 अमित कुमार सिंह, का० आकाश यादव, का० भीमराव, म0का0 पिंकी यादव।
SOG टीम प्रथम: उ0नि0 अमित कुमार चौरसिया (प्रभारी), हे०का0 मोहित राज यादव, का0 अरविन्द दुबे, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय, हे0का0 सनोज।
SOG टीम द्वितीय: उ0नि0 दिनेश सिंह (प्रभारी), उ0नि0 अमित सिन्हा, हे0का0 धनन्जय राय, हे0का0 महेन्द्र प्रताप, का0 सलमान खान।

प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026
थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस व वादी के सक्रिय सहयोग से घर में चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की नकदी व सोने की अंगूठी बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने वादी के सहयोग से एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 27.04.2026 को थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नेताजीपुरम (चिल्ड्रेन पैराडाइज स्कूल के सामने) के निवासी (वादी) द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को घर के पास ही घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना लालगंज पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0: 137/2026 धाराएं: 305/331(4)/317(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) बनाम 01 नामजद का अभियोग का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
01. गौरव उर्फ आशीष मिश्रा पुत्र काशीप्रसाद मिश्रा, निवासी- ग्राम हुलासगढ़ (पूरे नोती), थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त आशीष उर्फ गौरव मिश्रा s/o काशी प्रसाद मिश्रा नि0 ग्राम हुल्लासगढ पुरे नोटि, लालगंज, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 224/23 धारा 379,411 भादवि थाना जेठवारा प्रता0
2. मु0अ0सं0 667/23 धारा 411,413,465 भादवि थाना को0 नगर प्रता0
3. मु0अ0सं0 129/25 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना को0 नगर प्रता0
4. मु0अ0सं0 110/26 धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर प्रता0
5. मु0अ0सं0 137/26 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस थाना लालगंज प्रता0

बरामदगी का विवरण
अभियुक्त के पास से चोरी से संबंधित निम्नलिखित सामान बरामद किया गया:
नकद धनराशि: 7,000/- रुपये (सात हजार रुपये)।
आभूषण: 01 अदद सोने की अंगूठी (पीली धातु)।

पूछताछ एवं अन्य खुलासे

पुलिस द्वारा की गई गहन पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने पूर्व में भी इसी स्थान पर चोरी की एक अन्य घटना (मंगलसूत्र आदि) को अंजाम दिया था, जिसकी सूचना पूर्व में पुलिस को नहीं दी गई थी। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए बरामद माल को उसी चोरी का हिस्सा बताया।

प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गौहत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला गिरफ्तार-

एसटीएफ प्रयागराज द्वारा गौहत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला को आनन्द हास्पिटल के सामने हवाई जहाज चौराहे पर पान की दुकान थाना कर्नलगंज प्रयागराज से से गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम बरसण्डा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना देल्हूपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 16.01.2026 को रात्रि में वादी के दरवाजे पर बंधी उसकी दो गायों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पगहा सहित खोलकर चोरी कर लिया गया। वादी द्वारा हल्ला-गुहार व खोजबीन के उपरान्त यह भी ज्ञात हुआ कि पड़ोसी की गायें भी चोरी हुई हैं। रात्रि में खोजबीन के दौरान अम्मा पुल जिन्नाथ बाबा के पुल के नीचे नदी किनारे आकाश सिंह की गायों से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

एसटीएफ टीम प्रयागराज से उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह हे0का0 मो० हबीब सिद्दीकी, हे0का0 अभिषेक मिश्र, हे0का० विकास तिवारी मय चालक हे0का0 रामलखन पाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 से संबंधित 50000/- रुपये के ईनामिया अन्तर्जपदीय अभियुक्त

अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम मऊआइमा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष को आनन्द हास्पिटल के सामने हवाई जहाज चौराहे पर पान की दुकान थाना कर्नलगंज प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

दिनांक 16/17. 01.2026 को मैं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम बरसण्डा थाना क्षेत्र देल्हूपुर में गायों को चुराकर उनका वध कर सिर काट कर नदी में फेंक कर मांस बेचने हेतु शरीर उठा ले गये थे जिस पर हम लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखा है मैं उक्त मुकदमें व गिरफ्तारी से बचने के लिये प्रयागराज मे रह रहा था कि आज आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम मऊआइमा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 002/26 धारा 303(2)BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 03/2026 धारा 109(1) BNS तथा 3/25 A.ACT थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

एसटीएफ टीम प्रयागराज से उ0नि0 विनय तिवारी मय हमराह हे0का0 मो० हबीब सिद्दीकी, हे0का0 अभिषेक मिश्र, हे0का० विकास तिवारी मय चालक हे0का0 रामलखन पाल।

प्रेस नोट दिनांक 27.04.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त मो0 समीर उर्फ गामा को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत हर पुलिया ग्राम कोहराव के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभम सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार,आरक्षी विपिन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया ग्राम कोहराव के पास से 01 अभियुक्त मो0 समीर उर्फ गामा पुत्र अब्दुल करीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम याम दशरथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मो0 समीर उर्फ गामा के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 - 169/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दिनांक 23.04.2026 को ग्राम दशरथपुर निवासी वादिनी द्वारा थाना पट्टी पर तहरीर दी गई कि नामजद आरोपी द्वारा उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत की गई। विरोध करने एवं शोर मचाने पर आरोपी द्वारा पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर धारा 333, 74, 351(3) बीएनएस व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(VA) एससी/एसटी एक्ट, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद अभियुक्त गामा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 समीर उर्फ गामा पुत्र अब्दुल करीम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम याम दशरथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 166/2026 धारा 333, 74, 351(3) बीएनएस व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(VA) एससी/एसटी एक्ट, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 - 169/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शुभम सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार,आरक्षी विपिन यादव थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0- 27.04.2026
थाना अन्तू, जनपद- प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस की मुठभेड़ में गोवध व गैंगस्टर समेत विभिन्न मुकदमों में संलिप्त शातिर अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, अवैध असलहा व उपकरण बरामद; एक साथी फरार

थाना अन्तू क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल/गिरफ्तार।

घायल बदमाश सुलेमान के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व गोवध से संबंधित उपकरण बरामद।

घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद, एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार, तलाश जारी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह, उ0नि0 रविन्द्र यादव, उ0नि0 सचिन यादव, का0 संजय कुमार, का0 संदीप यादव, का0 भागीरथ, का0 अवधेश यादव, का0 आनन्द मोहन द्वारा कार्यवाही की गई।

आज दिनांक 27.04.2026 को रात्रि थाना अन्तू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामगढ़ी गायघाट रोड से चमरौधा पुल की ओर जंगल के पास पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल (टीवीएस स्पोर्ट) पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश

घायल हो गया, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

पकड़े गए घायल बदमाश की पहचान सुलेमान पुत्र शहाबुद्दीन निवासी रामपुर कुर्मियान थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से-

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस

04 अदद खोखा कारतूस

01 अदद मोटरसाइकिल (टीवीएस स्पोर्ट, बिना नंबर प्लेट)

गोवध से संबंधित उपकरण (एक बड़ा चाकू/बांका, एक चाकू व रस्सी) बरामद हुए हैं।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुलेमान उपरोक्त के विरुद्ध गोवध व गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं।

1. - मु०अ०सं० 131/2018 धारा- उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम 1955, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

2. - मु०अ०सं० 75/2019 धारा- उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

3. - मु०अ०सं० 296/2019 धारा- 3, 5, 8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

4. - मु०अ०सं० 229/2020 धारा- 3, 5, 8 उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

5. - मु०अ०सं० 341/2020 धारा- 323, 504, 506 भादवि व 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

6. - मु०अ०सं० 436/2021 धारा- 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, थाना- कन्धई, जनपद- प्रतापगढ़।

अन्य विवरण -

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार कॉम्बिंग/चेकिंग की जा रही है। प्रकरण के संबंध में थाना अन्तू पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही, उ0नि0 रविन्द्र यादव, उ0नि0 सचिन यादव, का0 संजय कुमार, का0 संदीप यादव, का0 भागीरथ, का0 अवधेश यादव, का0 आनन्द मोहन।